न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 65/2012 (उदयपुर डिकी)

रायसिंह मुतबन्ना श्री सोहनसिंह राजपूत, निवासी वाजमिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती सूरज कुंवर पत्नी श्री भैरूसिंह राजपूत, निवासी उठारडा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (मृतक) के बजाय :–

1/1. भंवरसिंह पिता श्री भैरूसिंह राजपूत, निवासी उठारडा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

1/2. प्रेमसिंह पिता श्री भैरूसिंह राजपूत, निवासी उठारडा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

1/3. श्रीमती ओछब कुंवर पत्नी श्री भंवरसिंह राजपूत, निवासी नांन्दसा (नानसा), तहसील सराड़ा, जिला भीलवाड़ा (राज.)

1/4. श्रीमती नन्द कुंवर पत्नी श्री गणपतसिंह राजपूत, निवासी नांन्दसा (नानसा), तहसील सराड़ा, जिला भीलवाड़ा (राज.)

1/5. श्रीमती वसन कुंवर पत्नी श्री प्रतापसिंह राजपूत, निवासी नांन्दसा (नानसा), तहसील सराड़ा, जिला भीलवाड़ा (राज.)

1/6. श्रीमती रो''ान कुंवर पत्नी श्री मानसिंह राजपूत, निवासी नांन्दसा (नानसा), तहसील सराड़ा, जिला भीलवाड़ा (राज.)

1/7. भैरूसिंह पिता श्री बदनसिंह राजपूत, निवासी उठारडा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

2. श्रीमती कि''ान कुंवर पत्नी श्री गोविन्दसिंह राजपूत, निवासी गुलाबसिंह जी का खेड़ा, पोस्ट थामला, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त.अधि.–1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर
दिनांक 13.05.2010 प्र.सं. 90/2010

———/———

उपस्थित(वक्तबहस)1. श्री हीरालाल कटारिया अभिभाशक अपीलान्ट

———:::———

निर्णय दिनांक

30–08–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट रायसिंह के पूर्वाधिकारी श्री सोहनसिंह द्वारा वर्श 1977 में अपने भाई गुलाबसिंह, वगतावरसिंह एवं चतरसिंह के उत्तराधिकारी उदेसिंह व सज्जनसिंह के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गांव वाजमियां में वाद पत्र की कलम संख्या 1 की ''क'', ''ख'' व ''ग'' में वर्णित भूमियां स्थित है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के पिता चतरसिंह आपस में सगे भाई होकर प्रत्येक का वादगस्त आराजियात में 1/4, 1/4 हिस्सा है व इसी अनुसार काबिज हैं, किन्तु वाद पत्र की कलम संख्या 1 की ''ग'' में वर्णित भूमियां प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सहवन से अंकित हो गयी हैं। अतः वाद पत्र की कलम संख्या 1 की ''क'', ''ख'' व ''ग'' में वर्णित कुल किता 43 रकबा 150 बीघा 14 बिस्वा भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को 1/4 हिस्से का खातेदार घोशित किया जाकर इसी अनुसार बंटवाड़ा कराया जावे तथा स्थायी निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी द्वारा काउण्टर क्लमे भी प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कुल 7 तनकियात कायम की गयी तथा तनकीवार विवेचन करते हुए अपने प्रकरण संख्या 13/77 निर्णय

दिनांक 25–09–2000 से वादी का वाद तथा प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम खारिज कर दिया।

उक्त निर्णय व डिक्री से विरूद्ध वादी मृतक सोहनसिंह की पत्नी श्रीमती कि''ान कुंवर अर्थात हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 द्वारा अपील संख्या 218/2000 एवं हाल अपीलान्ट रायसिंह व अन्य द्वारा अपील संख्या 33/2001 इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी, जिस पर इस न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 10–10–2006 से उक्त दोनों अपीलें स्वीकार कर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को पुनः नये सिरे से निर्णय करने हेतु रिमाण्ड किया।

इस न्यायालय के प्रतिप्रेशण आदे''ा के क्रम में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः प्रकरण दर्ज किया जाकर अपने निर्णय दिनांक 03–05–2010 से राजीनामे/आपसी बंटवाड़े के आधार पर वाद स्वीकार कर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 31–05–2010 को प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी की।

अधिनस्थ न्यायालय की उक्त अंतिम डिक्री दिनांक 31–05–2010 से रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 13–06–2012 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया, किन्तु रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्रकरण में बहस सुनी गयी।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 12–06–2012 को हुई। अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अखण्डित भापथ पत्र एवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय ने सोहनसिंह के कोई पुत्र संतान नहीं होने से उन्होंने मुझ अपीलान्ट को अपनी सेवा सुश्रशा के लिए अपने पास गोद रखा तथा दिनांक 14—09—1976 को रजिस्टर्ड गोदनामा निश्पादित कराया, जिसके आधार पर सोहनसिंह का 1/4 हिस्सा मेरे खाते दर्ज किया गया एवं आज दिनांक तक मैं सोहनसिंह की कुलिया जमीन पर काबिज होकर का''त कर रहा हूँ। सोहनसिंह की मृत्यु प''चात भूमि हड़पने की गरज से गुलाबसिंह के पुत्रों ने मेरी बहनों को बहला—फ़सला कर अपने पक्ष में कर दस्तावेज अपने पक्ष में लिखवा लिया तथा मेरे विरूद्ध दीवानी एवं फौजदारी प्रकरण दर्ज करा दिये। इसी दौरान मेरी दूसरी बहन सूरज कुंवर ने उक्त सोहनसिंह के हिस्से की भूमि में उसका जो 1/3 हिस्सा था उसे मुझ अपीलान्ट के पक्ष में दिनांक 29—08—1991 को रजिस्टर्ड रिलीज डीड कर हक त्याग दिया गया, जिससे सोहनसिंह जी के हिस्से की भूमि में 2/3 हिस्से का मालिक बन गया, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा 32 बीघा भूमि में मुझ अपीलान्ट का केवल 1 बीघा 19 बिस्वा में भी केवल 1/3 हिस्सा होना द''ार्या गया अर्थात मेरे हिस्से मं 21 बीघा 7 बिस्वा भूमि के बजाय मात्र 13 बिस्वा भूमि ही द''ार्यी गयी। अतः अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी अपास्त की जाकर उक्त 32 बीघा भूमि में मुझ अपीलान्ट को 2/3 हिस्से का तथा श्रीमती कि''ान कुंवर को 1/2 हिस्से का खातेदार घोशित किया जावे।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने मात्र आदे''ाका पर पक्षकारान की सहमति बताते हुए प्रकरण में अंतिम डिकी जारी कर दी है, जबकि प्रकरण वर्श 1977 का होकर पक्षकारों के मध्य काफी विवाद होना स्पश्ट है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय को प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार गुणावगुण पर विवेचन कर निर्णय पारित करना चाहिए था। तद्नुसार

अधिनस्थ न्यायालय का विवेचन प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 31–05–2010 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर विधि के आलोक में निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 31–10–2019 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30–08–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.....मुकाम..... उदयपुर.....

व इजलास ..... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....

श्रीमती पेमली पुत्री रूपा जी पत्नी जी रावत,
हरजी, निवासी रामा का खेडा, त0 तह0
वल्लभनगर, जिला उदयपुर व अन्य

बनाम

श्रीमती मथरी पत्नी देवा
निवासी चिरोला मासिंगपुरा,
वल्लभनगर, जिला उदयपुर

अपील नं॰.....09 / 2016.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी.....
.....वल्लभनगर..... मुकाम.....मुवखें.....09.....माह..... 12.....2015

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....23....माह.....07.....सन् 2019 रूबरू..... पक्षकारान
व हाजरी..श्री नरेश जणवा..मिनजानिब अपीलान्ट व...श्री सुखलाल मेघवाल/हुक्मीचन्द सांगावत

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी दिनांक 09–12–2015 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....23.....माह.....07... 2019
को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0

1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील..... ..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।